अध्याय-III
हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण

अध्याय –III

हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण

3. हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन

ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन लो.स्वा.अभि.वि. एवं प.रा.वि. द्वारा क्रमशः लो.स्वा. प्रमंडलों तथा डब्ल्यू.आई.एम.सी. के माध्यम से किया जाना था। शहरी क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन न.वि. एवं आ.वि. द्वारा श.स्था.नि. तथा बुडको के माध्यम से किया जाना था, जैसा कि **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्षेत्र एवं कार्यान्वयन एजेंसियाँ

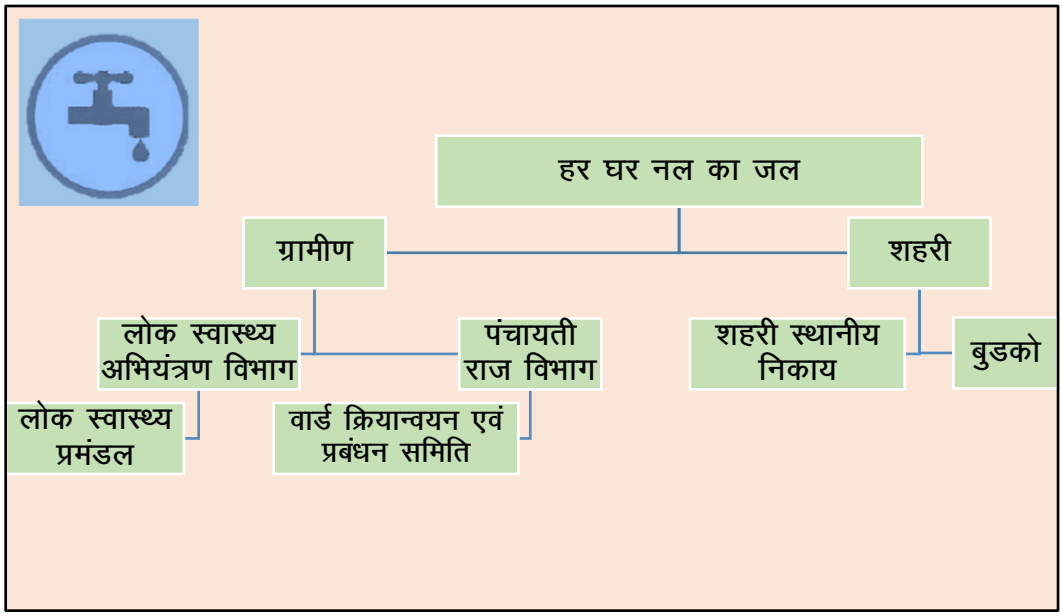

(स्रोतः हर घर नल जल योजना मार्गदर्शिका)

हर घर नल का जल योजना की उपलब्धि हेतु 1,14,450 ग्रामीण वार्डों तथा 3,370 शहरी वार्डों में योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने चार उप–योजनाएँ प्रारंभ की (सितंबर 2016) तथा प्रत्येक के अंतर्गत बिहार के सभी वार्डों को पाइप जलापूर्ति के अंतर्गत वर्ष 2019–20 तक आच्छादित किए जाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। योजना–वार कार्यान्वयन विभाग, निर्धारित लक्ष्य तथा उनके विरुद्ध उपलब्धि का विवरण **चार्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: योजना–वार कार्यान्वयन विभाग, प्रतिवेदित वार्ड/परिवार का लक्ष्य एवं उपलब्धि (मार्च 2023 तक)

योजना का नाम	कार्यान्वयन विभाग	लक्ष्य: वार्ड की संख्या (परिवार की संख्या)	उपलब्धि: वार्ड की संख्या (परिवार की संख्या)
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना	पंचायती राज विभाग	58,003 (-)	57,767 (94,73,788)
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	30,207 (47,68,403)	29,726 (46,47,078)
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर–गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	26,240 (36,90,325)	26,196 (36,70,503)
मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	नगर विकास एवं आवास विभाग	3,370 (15,85,400)	3,156 (14,82,761)

(स्रोत: लो.स्वा.अभि.वि., पं.रा.वि. एवं न.वि. एवं आ.वि. द्वारा प्रस्तुत सूचनायें)

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि मार्च 2020 तक पूर्ण किए जाने के लक्ष्य के बावजूद, मार्च 2023 तक ग्रामीण एवं शहरी वार्डों का शत–प्रतिशत कवरेज पाइप जलापूर्ति योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त नहीं किया जा सका।

3.1 ग्रामीण क्षेत्र में वार्डों के आच्छादन की अवास्तविक रिपोर्टिंग

हर घर नल का जल योजना के लिए समय–समय पर जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार प.रा.वि. **द्वारा आच्छादित किए जा रहे वार्डों के लिए निश्चय सॉफ्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जानी थी** जबकि लो.स्वा.अभि.वि. के वार्डों के मामले में संबंधित प्रमंडलों को बिहार विकास मिशन द्वारा जारी निर्देशों (जून 2022) के अनुसार विभाग को मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करनी थी। हालांकि, न.वि. एवं आ.वि. में कोई सुव्यवस्थित रिपोर्टिंग प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग: उपरोक्त चार्ट तथा लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी (मार्च 2023) से यह परिलक्षित होता है कि हर घर नल का जल योजना के प्रारंभ (सितंबर 2016) से विभाग द्वारा कुल 56,447 वार्डों में से 55,922 वार्ड (99 प्रतिशत) को आच्छादित किया गया था। हालांकि, विभाग ने स्वयं नवंबर 2023 में निधि स्वीकृत करते समय यह उल्लेख किया कि 46,633 वार्डों की 10,719 बसावट, हर घर नल का जल योजना के तहत आच्छादन से बाहर रह गई थी। परिणामस्वरूप, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा प्रतिवेदित किए गए 55,922 वार्डों में बसावटों का कवरेज 100 प्रतिशत नहीं था।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा दिए गए आच्छादन की अवास्तविक रिपोर्टिंग की पुष्टि लेखापरीक्षा द्वारा भी की गई, क्योंकि यह देखा गया कि 15 नमूना जांचित प्रमंडलों में से पाँच प्रमंडलों (75 वार्ड) में लो.स्वा.अभि.वि. ने हर घर नल का जल योजना के

अंतर्गत 100 प्रतिशत[1] आच्छादन प्रतिवेदित किया था। तथापि, लेखापरीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि नवंबर 2023 तक इन 75 वार्डों में से 43 वार्डों में नौ कार्य अपूर्ण थे, जो विभाग द्वारा दिये गये प्रतिवेदन को बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत करने का संकेत देता है।

इसके अतिरिक्त, जहाँ लो.स्वा.अभि.वि. ने केवल 23 वार्डों में हर घर नल का जल योजना के अपूर्ण कार्यों को प्रतिवेदित किया था, वहीं लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 15 नमूना जांचित प्रमंडलों (171 वार्ड) में से चार प्रमंडलों के 136 वार्डों में 24 कार्य अपूर्ण (नवंबर 2023)[2] थे। प्रत्येक जिले/वार्ड के अपूर्ण कार्यों की सूची ***परिशिष्ट 3.1*** में विस्तृत रूप से दी गई है।

अपने जवाब (जून 2025) में, लो.स्वा.अभि.वि. ने विभिन्न चुनौतियों को स्वीकार किया जिनके कारण कुछ बसावट आच्छादन से बाहर रह गईं थी। इनमें दूरस्थ बसावटों तक ट्यूबवेल से जलापूर्ति करने में असमर्थता तथा वितरण प्रणाली में पुलिया, पुल, नदियाँ, तालाब और रेलवे क्रॉसिंग जैसी बाधाएँ शामिल थीं। यह जवाब अप्रत्यक्ष रूप से इस तथ्य की पुष्टि करता है कि लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा 99 प्रतिशत वार्डों के आच्छादन का दावा किए जाने के बावजूद, 46,633 वार्डों की 10,719 बसावटें वास्तव में आच्छादित नहीं की गई थीं।

पंचायती राज विभागः इसी प्रकार, प.रा.वि. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत लक्षित ग्रामीण वार्डों का 99.51 प्रतिशत आच्छादन (मार्च 2023 तक) किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सात नमूना जांचित जिलों में 150 वार्डों में 150 कार्य अपूर्ण थे, जबकि प.रा.वि. के आँकड़ों के अनुसार केवल 47 वार्डों में कार्य अधूरे थे, जैसा कि **तालिका 3.1** में है।

तालिका 3.1: पं.रा.वि. प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जॉचित सात जिलों के अभिलेखों के अनुसार लक्ष्य और उपलब्धि

क्रम संख्या	जिलों का नाम	पं.रा.वि. के प्रतिवेदन (मार्च 2023) के अनुसार वार्डों के आच्छादन की स्थिति			नमूना जांचित अभिलेखों के अनुसार वार्डों की संख्या जहाँ कार्य अपूर्ण थे
		लक्ष्य	उपलब्धि	वार्डों की संख्या जहाँ कार्य अपूर्ण थे	
1	औरंगाबाद	1,770	1,761	9	61
2	दरभंगा	3,849	3,833	16	28
3	गया	2,602	2,593	9	41
4	गोपालगंज	2,737	2,736	1	3
5	जमुई	266	266	0	5
6	सारण	3,362	3,353	9	1
7	पश्चिमी चंपारण	3,216	3,213	3	11
	योग	**17,802**	**17,755**	**47**	**150**

(स्रोतः प.रा.वि. और नमूना जांचित ग्रा.पं. द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनायें)

यह देखा गया कि अनेक कार्य विभिन्न कारणों से अपूर्ण रह गए जैसे निधियों की कमी, निधि उपलब्ध होने के बावजूद डब्ल्यू.आई.एम.सी द्वारा कार्य क्रियान्वित न किया जाना, संवेदकों द्वारा कार्य को बीच में ही छोड़ देना, ग्राम पंचायतों द्वारा निधियों का डब्ल्यू.आई.एम.सी. को हस्तांतरण न किया जाना आदि।

---

1 *मार्च 2023 तक हर घर नल का जल की जिलावार प्रगति प्रतिवेदन।*

2 *मार्च 2023 तक हर घर नल का जल की जिलावार प्रगति प्रतिवेदन।*

इस प्रकार, संबंधित विभागों द्वारा हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत वार्डों के पी. डब्ल्यू.एस. के आच्छादन को बढ़ा–चढ़ाकर प्रतिवेदित किया गया, जोकि वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित नहीं करती थी। योजना के लक्षित तिथि तक 100 प्रतिशत परिवारों को आच्छादित करने का उद्देश्य अनेक परियोजनाएँ अपूर्ण रहने के कारण पूरा नहीं किया जा सका।

3.2 शहरी क्षेत्रों में वार्डों के आच्छादन की अवास्तविक रिपोर्टिंग

शहरी क्षेत्रों के संबंध में, हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी न.वि. एवं आ.वि. द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई। इसके अनुसार, कुल 93.65 प्रतिशत वार्डों को पी.डब्ल्यू.एस. के अंतर्गत आच्छादित बताया गया। इस प्रकार, 6.35 प्रतिशत शहरी वार्डों में हर घर नल का जल योजना से सबंधित पी.डब्ल्यू.एस. पूर्ण होने की निर्धारित अवधि (2019–20) के तीन वर्ष बाद भी पूर्ण नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि ये परियोजनाएँ संवेदकों द्वारा कार्य छोड़ देने, जल स्रोत की अनुपलब्धता, संवेदकों के साथ समझौते में विलंब/समझौतों के न होने आदि कारणों से अधूरी रह गई थीं।

इसके अतिरिक्त, चार नमूना जांचित श.स्था.नि. में, यद्यपि न.वि. एवं आ.वि. ने (मार्च 2023) हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत पी.डब्ल्यू.एस. द्वारा 100 प्रतिशत वार्डों के आच्छादन को प्रतिवेदित किया था, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 78 वार्डों में से 15 वार्डों (19 प्रतिशत वार्ड) में 15[3] कार्य नवंबर 2023 तक अपूर्ण थे, जैसा कि **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है। अतः न.वि. एवं आ.वि. द्वारा 100 प्रतिशत वार्डों के आच्छादन की रिपोर्टिंग गलत और बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए आँकड़ों को दर्शाती है।

तालिका 3.2: श.स्था.नि. के लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए अपूर्ण वार्ड

क्रम संख्या	श.स्था.नि. का नाम	न.वि. एवं आ.वि. के प्रतिवेदन के अनुसार वार्डों के आच्छादन की स्थिति (मार्च 2023)		लेखापरीक्षा के दौरान अपूर्ण पाए गए वार्ड
		लक्ष्य	उपलब्धि	
1	बीरपुर	13	13	1
2	बेनीपुर	29	29	4
3	झंझारपुर	16	16	1
4	झाझा	20	20	9
	योग	**78**	**78**	**15**

(स्रोतः विभाग एवं नमूना जांचित श.स्था.नि. निकायों की योजना से संबंधित अभिलेख)

अपने जवाब (जून 2025) में, न.वि. एवं आ.वि. ने सूचित किया कि बीरपुर में कार्य के क्रियान्वयन हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। झंझारपुर और झाझा में सड़क क्रॉसिंग तथा बोरिंग असफल होने के कारण जलापूर्ति सेवाओं में विलंब हुआ, तथापि जलापूर्ति की जा रही है।

विभाग के जवाब से यह स्पष्ट है कि न.वि. एवं आ.वि. द्वारा प्रतिवेदित किया गया 93.65 प्रतिशत आच्छादन अवास्तविक था।

[3] *बीरपुरः 1 कार्य, बेनीपुरः 4 कार्य, झंझारपुरः 1 कार्य, झाझाः 9 कार्य।*

3.3 ग्रामीण और शहरी वार्डों में हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार (जनवरी 2016) किए गए विजन एवं स्ट्रैटजिक दस्तावेज के अनुसार, हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत पी.डब्ल्यू.एस. को कार्यान्वयन इकाइयों द्वारा या तो मौजूदा/चल रही पाइप पी.डब्ल्यू.एस. को सुदृढ़ करके अथवा नई योजनाएँ बनाकर क्रियान्वित किया जाना था। सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत, विभाग को पहले उन योजनाओं की पहचान करनी थी जिनमें क्षमता वृद्धि की आवश्यकता थी और जनसंख्या की जल की मांग को पूरा करने हेतु उन योजनाओं का रूपरेखा पुनः तैयार करना था। इन योजनाओं को अतिरिक्त वितरण प्रणाली और गृह जल संयोजन के साथ सुदृढ़ किया जाना था।

नई पी.डब्ल्यू.एस. के निर्माण हेतु, लो.स्वा.अभि.वि. ने संबंधित प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता को निर्देश (सितंबर 2016) दिया कि वे सहायक अभियंता और कनीय अभियंता के साथ बैठकें आयोजित करें, ताकि लक्ष्यों का निर्धारण किया जा सके और हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना तैयार की जा सके। इन बैठकों का उद्देश्य संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव के साथ सहभागिता सुनिश्चित करना था।

लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित लो.स्वा. प्रमंडल द्वारा ऐसे व्यापक अनुबंध प्रदान किए जाने थे जिनमें सभी सामग्री और उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, बिछाने, परीक्षण तथा चालू करने की पूर्ण जिम्मेदारी शामिल हो। इसमें ट्यूबवेल का ड्रिलिंग और विकास भी सम्मिलित था।

- ***हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पाइप जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन***

हर घर नल का जल योजना को लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा राज्य के गुणवत्ता प्रभावित तथा चयनित गैर गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण वार्डों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित एवं गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय घटक के अंतर्गत लागू किया गया। इसके तहत, लो.स्वा.अभि.वि. ने राज्य के सभी 38 जिलों के 56,447 ग्रामीण वार्डों में पी.डब्ल्यू.एस. परियोजनाओं को लागू करने का कार्य शुरू किया गया। इन परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र में ट्यूबवेल का निर्माण, मोटर पंप की स्थापना, पानी की टंकी, जल शोधन यंत्र, वितरण प्रणाली की स्थापना, घरों तक गृह जल संयोजन आदि शामिल थे, साथ ही इन जलापूर्ति योजनाओं का पाँच वर्षों तक संचालन एवं अनुरक्षण भी सम्मिलित था। इन योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद एवं तीन से छह माह की परीक्षण अवधि समाप्त होने के बाद ही प्रारंभ किया जाना था।

निष्पादित कार्यों की भुगतान अनुसूची के अनुसार, संवेदकों को 85 प्रतिशत भुगतान भौतिक एवं तकनीकी घटकों के पूर्ण होने के बाद किया जाना था तथा शेष 15 प्रतिशत भुगतान केवल परीक्षण अवधि[4] के सफल होने के बाद ही किया जाना था।

---

[4] *परीक्षण अवधि का उद्देश्य निमार्ण कार्य घटकों जैसे ट्यूबवेल, पंप, जल शोधन संयंत्र, वितरण प्रणाली, पानी की टंकी के लिए स्टेजिंग तथा गृह जल संयोजन के सफल संचालन को सुनिश्चित करना था।*

- हर घर नल का जल योजना के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय घटक को पं.रा.वि. द्वारा राज्य के 29 जिलों के 58,003 ग्रामीण वार्डों में डब्ल्यू.आई.एम.सी. के माध्यम से लागू किया गया। डब्ल्यू.आई.एम.सी पी.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के विभिन्न घटकों जैसे ट्यूबवेल, मोटर पंप, वितरण नेटवर्क, पानी की टंकी, गृह जल संयोजन आदि के निर्माण तथा संचालन एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी थी। डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व वार्डों का एक बेसलाइन सर्वेक्षण करना आवश्यक था। इसके बाद संबंधित वार्ड के कनीय अभियंता को डी.पी.आर. तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। प्रखण्ड स्तरीय अनुश्रवण इकाइयों को डी.पी.आर. के तकनीकी स्वीकृति का कार्य सौंपा गया, जबकि ग्राम पंचायत को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का दायित्व दिया गया। योजना में प्रयुक्त सामग्री की खरीद के लिए कार्य आदेश डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा बाजार के सर्वे के आधार पर जारी किए जाने थे और परियोजनाओं का क्रियान्वयन डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा श्रमिकों, तकनीशियनों, प्लंबर आदि की भागीदारी के साथ किया गया था। इस योजना के तहत संवेदकों की भागीदारी प्रतिबंधित थी।

- ***हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में पी.डब्ल्यू.एस. का क्रियान्वयन***

हर घर नल का जल योजना के शहरी घटक मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना का बिहार के 143 शहरों के 3,370 शहरी वार्डों में श.स्था.नि. और बुडको द्वारा क्रियान्वयन किया गया। 32 शहरों के 1,384 वार्डों में पी.डब्ल्यू.एस. योजनाओं का क्रियान्वयन बुडको द्वारा किया गया, जबकि शेष 111 शहरों के 1,986 वार्डों में हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन श.स्था.नि. द्वारा निजी एजेंसियों के माध्यम से किया जाना था, जिन्हें निविदा प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किया जाना था। इन पी.डब्ल्यू.एस. योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण परियोजना के पूर्ण होने के बाद पाँच वर्षों तक संवेदक द्वारा किया जाना था।

हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन में लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई अनियमितताओं का आगामी कंडिकाओ में चर्चा की गई है।

3.3.1 ग्रामीण क्षेत्रों में बिना सर्वेक्षण के मौजूदा पाइप जलापूर्ति योजनाओं का क्षमता संवर्धन

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार (जनवरी 2016) किए गए विजन एवं स्ट्रैटजी दस्तावेज के अनुसार, मौजूदा क्षमता की पहचान और उसका **संवर्धन** जनसंख्या की जल की माँग के अनुसार किया जाना था। किसी भी मौजूदा अथवा चल रहे पी.डब्ल्यू.एस. की पुनर्रचना से पूर्व, संबंधित लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों द्वारा मौजूदा नलकूपों की क्षमता, आवश्यक वितरण प्रणाली की लंबाई, गृह जल संयोजन की संख्या आदि की पहचान की जानी थी, ताकि जनसंख्या की जल को आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों में, 124 वार्डों में 14,114 ग्रामीण परिवारों को नए गृह जल संयोजन उपलब्ध कराने के लिए पी.डब्ल्यू.एस. में वृद्वि करने, मौजूदा वितरण प्रणाली आदि का विस्तार करने हेतु, 16 कार्यों के लिए ₹ 12.45 करोड़ मूल्य के प्राथमिक एकरारनामा किए गए थे (दिसंबर 2018 से मई 2020)। तथापि, इन सभी वार्डों में नलकूपों की मौजूदा क्षमता, वितरण प्रणाली की लंबाई, आच्छादित किए जाने वाले गृह जल संयोजनों की संख्या तथा किए जाने वाले कार्य के दायरे की उचित पहचान हेतु विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया।

परिणामस्वरूप, इन सभी मामलों में प्राथमिक एकरारनामा के अंतिम रूप दिए जाने के बाद, 71,354 मीटर वितरण प्रणाली, 5,639 परिवारों को नल जल संयोजन तथा 11 नलकूप आदि, (जैसा कि ***परिशिष्ट–3.2*** में विस्तृत है) अतिरिक्त कार्यों हेतु पूरक एकरारनामा निष्पादित (सितंबर 2020 से जनवरी 2022) करने पड़े जिसकी पुनरीक्षित लागत ₹ 18.26 करोड़ थी। अतः मौजूदा पी.डब्ल्यू.एस. की समुचित पहचान न किए जाने के कारण तथा आवश्यकताओं के अवास्तविक आकलन के कारण तीन योजनाएँ अपूर्ण रहीं और 13 योजनाओं के पूर्ण होने में वास्तविक पूर्णता तिथि (जून 2019 से नवंबर 2020) की तुलना में तीन से 23 माह का विलम्ब हुआ।

(अ) ग्रामीण वार्डों में जलापूर्ति की सेवा प्रदान करने में विलंब

लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि 16 योजनाओं के एकरारनामा में से 13 एकरारनामा में, हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत 100 ग्रामीण वार्डों में 15,817 घरों में संयोजन प्रदान किए जाने थे। इनमें से 100 वार्डों के 11,192 परिवारों को जलापूर्ति की सेवा, प्राथमिक एकरारनामा की निर्धारित पूर्ण होने की तिथियों (जून 2019 से नवंबर 2020) से तीन से 23 माह तक की अवधि के विलंब के बाद ही उपलब्ध कराई जा सकी। इसके अतिरिक्त, 100 वार्डों के 4,625 पात्र परिवारों को नल जल संयोजन उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जैसा कि **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: पूरक एकरारनामा के घटको को पूर्ण करने में विलम्ब (नवंबर 2023 तक)

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	नमूना जांचित एकरारनामा में वार्डों की संख्या	गृह जल संयोजन उपलब्ध कराये जाने की संख्या	उपलब्ध कराई गई गृह जल संयोजन की संख्या	उपलब्ध नहीं कराई गई गृह जल संयोजन की संख्या	प्राथमिक एकरारनामा के अनुसार नियत तिथि की तुलना में कार्य पूर्ण होने में हुआ विलम्ब (महीने में)
1	औरंगाबाद	6	1,421	620	801	11
2	छपरा	20	2,432	2,128	304	3 से 7
3	दरभंगा	25	3,730	2,028	1,702	19 से 22
4	झंझारपुर	8	1,672	1,679	(-) 7	14 से 23
5	मधुबनी	41	6,562	4,737	1,825	11 से 23
	कुल	**100**	**15,817**	**11,192**	**4,625**	

(स्रोत: नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों के अभिलेख)

(ब) ग्रामीण वार्डों में जलापूर्ति सेवा की अन–उपलब्धता

लेखापरीक्षा ने आगे यह भी पाया कि मौजूदा पेयजल योजनाओं के सर्वेक्षण सही से न होने के कारण, 16 में से तीन[5] एकरारनामा नवंबर 2023 तक अपूर्ण रहे। इन परियोजनाओं के अपूर्ण रहने का मुख्य कारण यह था कि सभी लक्षित परिवारों को आच्छादित करने हेतु आवश्यक मात्रा में जल आपूर्ति करने के लिए नलकूपों की जल निकालने की क्षमता का संबंधित लो.स्वा. प्रमंडलों द्वारा उचित आकलन नहीं किया गया था, जैसा कि **तालिका 3.4** में विस्तृत रूप से देखा गया है।

[5] *औरंगाबाद (ओबरा पी.डब्ल्यू.एस.: एसबीडी– 156/2019–20), दरभंगा (कमतौल पी.डब्ल्यू.एस.: एसबीडी– 35/2019–209) और मधुबनी (मधवापुर पी.डब्ल्यू.एस: F2–29/2018–19)।*

तालिका 3.4: वार्डों की संख्या, परिवार और मौजूदा पी.डब्ल्यू.एस. के अपूर्ण रहने के कारण

क्रम संख्या	लो.स्वा. प्रमंडलों का नाम, कार्य का नाम, प्राथमिक एकरारनामा का मूल्य, कार्य पूर्ण करने का प्रारंम्भिक लक्ष्य	अपूर्ण वार्डों की संख्या	परिवार की संख्या	योजना अपूर्ण रहने का कारण
1	औरंगाबाद ओबरा पी.डब्ल्यू.एस. (एसबीडी–156/ 2019–20), मूल प्राक्कलन का मूल्यः ₹ 64.23 लाख पुनरीक्षित प्राक्कलन का मूल्यः ₹ 216.76 लाख कार्य पूर्ण करने का प्रारंम्भिक लक्ष्य : 3 जून 2020	10	1,595	इस कार्य के लिए प्रारंभिक एकरारनामा दिसंबर 2019 में निष्पादित किया गया था, हालांकि प्राक्कलन बिना किसी सर्वेक्षण के तैयार किया गया। अतः इन प्राक्कलनों को (नवंबर 2020 में) एक अतिरिक्त वितरण प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु पुनरीक्षित किया गया, जो कि प्रारंभिक एकरारनामा के एक वर्ष से अधिक समय पश्चात किया गया। किन्तु यह पुनरीक्षण भी बिना किसी आकलन के किया गया और इसलिए, दूसरा पुनरीक्षण (दो नलकूप एवं दो पंपों हेतु) प्रथम पुनरीक्षण के दो वर्ष बाद जनवरी 2023 में प्रस्तावित किया गया। इसके अतिरिक्त, संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने कहा कि पहचाना गया जलस्रोत सभी वार्डों की जलापूर्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। फलस्वरूप, परियोजना अपूर्ण रही (जुलाई 2023) और लक्षित परिवारों को पाइप जलापूर्ति प्रदान करने का अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो सका।
2	दरभंगा कमतौल पी.डब्ल्यू.एस. (एसबीडी–35/2019–20) मूल प्राक्कलन का मूल्यः ₹ 82.78 लाख पुनरक्षित प्राक्कलन की मूल्यः ₹ 159.28 लाख कार्य पूर्ण करने का प्रारंम्भिक लक्ष्यः 14 मई 2020	6	1,410	इस कार्य का प्रारंभिक प्राक्कलन (नवंबर 2018) बिना किसी सर्वेक्षण के तैयार किया गया था और इसी अनुमान पर प्राथमिक एकरारनामा (नवंबर 2019) भी निष्पादित किया गया। इस एकरारनामा के विरुद्ध, संवेदक ने 3,815 मीटर में से 3,157 मीटर पाइप बिछाने का कार्य किया तथा मई 2020 तक 1,300 गृह जल संयोजन में से 251 गृह जल संयोजन प्रदान किए। तथापि, इस प्राक्कलन के अंतर्गत स्वीकृत वितरण की मात्रा सभी लक्षित वार्डों को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके अतिरिक्त, मौजूदा पुराना नलकूप भी अपनी परिकल्पित आयु पूर्ण कर चुका था। अतः, पूरक एकरारनामा (नवंबर 2019) में अतिरिक्त वितरण प्रणाली और नलकूप की व्यवस्था की गई। किन्तु, संवेदक ने पूरक एकरारनामा में सम्मिलित कार्यों का क्रियान्वयन नहीं किया। परिणामस्वरूप, प्रारंभिक एकरारनामा की तिथि से चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी 1,410 परिवार हर घर नल का जल योजना के लाभ से वंचित रहे।
3	मधुबनी मधवापुर पी.डब्ल्यू.एस. (एसबीडी –29/2018–19) मूल प्राक्कलन की मूल्यः ₹ 69.30 लाख पुनरीक्षित प्राक्कलन का मूल्यः ₹ 91.23 लाख कार्य पूर्ण करने का प्रारंभिक लक्ष्यः 6 जुलाई 2019	8	931	इस कार्य का प्राक्कलन बिना किसी सर्वेक्षण के तैयार (नवंबर 2018) किया गया था और एकरारनामा वितरण प्रणाली विस्तार एवं गृह जल संयोजन प्रदान करने हेतु निष्पादित (मार्च 2019) किया गया। तथापि, संवेदक ने (मई 2019) प्रतिवेदित किया कि इस योजना में मौजूद नलकूप कार्यरत नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी ने मौजूदा नलकूप की स्थिति का आकलन नहीं किया, जिसके कारण समग्र रूप से कार्य निष्पादन में विलंब हुआ। अंततः प्रारंभिक एकरारनामा की तिथि से चार वर्ष से अधिक समय के पश्चात अक्टूबर 2023 में नलकूप के लिए निविदा आमंत्रीत की गई, अर्थात परिणामस्वरूप, नवंबर 2023 तक 931 परिवार हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत पाइप जलापूर्ति के लाभ से वंचित रहे।
	योग	**24**	**3,936**	

(स्रोत : नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों के अभिलेख)

इस प्रकार, हर घर नल का जल योजना के तहत क्षमता वृद्धि या संवर्धन के लिए मौजूदा पी.डब्ल्यू.एस. योजनाओं का उचित सर्वेक्षण के माध्यम से आकलन नहीं किया गया था।

परिणामस्वरूप, हर घर नल का जल योजना के तहत 24 वार्डों के 3,936 परिवार नल के पानी के कनेक्शन से वंचित रह गए।

अपने जवाब में (जून 2025) में विभाग ने कहा कि योजना अनुमानित जनसंख्या के आधार पर 30 वर्ष की अवधि के लिए मूल रूप से तैयार की गई थी। तथापि, चूँकि नलकूप को 15 वर्ष की सेवा आयु के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए संबंधित वितरण प्रणाली और गृह जल संयोजन की योजना तदनुसार बनाई गई थी। चूकि नलकूप अपनी परिकल्पित आयु पूरी कर चुका है, इसलिए वर्तमान जनसंख्या के आधार पर एक नई योजना तैयार की गई है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मौजूदा नलकूपों की क्षमता, वितरण प्रणाली की आवश्यक लंबाई तथा जनसंख्या की जल की माँग को पूरा करने हेतु आवश्यक गृह जल संयोजन की संख्या का आकलन, कार्य प्रारंभ करने से पूर्व किया जाना अपेक्षित था।

3.3.2 नई पाइप जलापूर्ति योजना का निर्माण

3.3.2.1 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा वार्डों में जलापूर्ति सेवा प्रदान करना सुनिश्चित नहीं किया गया

लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों ने योजना के विभिन्न घटकों को पूर्ण करने हेतु एजेंसियों को निविदाएँ प्रदान की और एकरारनामा निष्पादित किए। परियोजना के चालू करने के बाद एक संचालन पूर्व परीक्षण किया जाना था और उसके सफल समापन के आधार पर शेष 15 प्रतिशत भुगतान संवेदक को जारी किया जाना था।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि आठ नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों के 30 नमूना एकरारनामा में संवेदक 20 वार्डों में नलकूप, 44 वार्डों में वितरण प्रणाली, 68 वार्डों में गृह जल संयोजन, 88 वार्डों में पानी टंकी के लिए स्टेजिंग तथा 21 वार्डों में जल शोधन संयंत्र का कार्य पूरा करने में विफल रहे (नवंबर 2023 तक)। ये पी.डब्ल्यू.एस. 2017–18 से 2019–20 की अवधि के बीच प्रदान की गई थीं, किन्तु तीन से पाँच वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी विभिन्न कारणों जैसे संवेदकों द्वारा कार्य छोड़ दिया जाना, संचालन पूर्व परीक्षण न किया जाना आदि के कारण अपूर्ण रहीं। इन पी.डब्ल्यू.एस. के अपूर्ण रहने से 28,849 परिवार सुरक्षित गृह जल संयोजन से वंचित रह गए, जैसा कि **तालिका 3.5** और ***परिशिष्ट 3.3*** में विस्तृत रूप से दिया गया है।

तालिका 3.5: नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों का विवरण, जहाँ संवेदक द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़ दिया गया (नवंबर 2023 तक)

क्रम संख्या	लो.स्वा. प्रमंडलों के नाम (नमूना जांचित एकरारनामा की संख्या)	अपूर्ण वार्डों की संख्या	अपूर्ण वार्डों में परिवारों की संख्या	व्यय (₹ करोड़ में)
1	भागलपुर पूर्वी (4)	12	2,910	3.28
2	दरभंगा (1)	3	448	0.00
3	गया (14)	84	15,100	13.92
4	झंझारपुर (3)	11	2,125	1.69
5	मधुबनी (1)	6	900	0.20
6	शेरघाटी (4)	31	5,840	2.49
7	सुपौल (2)	3	796	0.50
8	जमुई (1)	5	730	0.03
	योग (30)	**155**	**28,849**	**22.11**

(स्रोतः नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों के योजनाओं से संबंधित अभिलेख)

तालिका से स्पष्ट है कि नमूना जांचित 30 एकरारनामों में ₹ 22.11 करोड़ का व्यय 155 वार्डों के लिए किया गया, किन्तु इनके अपूर्ण रहने के कारण इन पर किया गया व्यय निष्फल रहा (नवंबर 2023 तक)।

जून 2025 में विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और कहा कि नए नलकूपों के निर्माण, नए संवेदकों की नियुक्ति तथा पाइपलाइनों के बिछाने/मरम्मत के बाद 155 वार्डों में से 41 वार्डों में जलापूर्ति प्रारंभ कर दी गई है। शेष 114 वार्डों के लिए जलापूर्ति प्रारंभ करने हेतु नए प्राक्कलन तैयार करने, नए संवेदकों की नियुक्ति आदि की कार्यवाही आरंभ की गई है।

- ***कठिन भू–भाग में जलापूर्ति की सेवा प्रारंभ नहीं किया जाना***

हर घर नल का जल योजना के अंर्तगत कठिन भू–भाग[6] होने के कारण गया जिले के 99 ग्रामीण वार्डों में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना का क्रियान्वयन जिला पंचायती राज पदाधिकारी, गया द्वारा लो.स्वा.अभि.वि. को सौंपा गया (मई 2020) यह कार्य निर्धारित समयसीमा के अनुसार एक माह की अवधि में पूर्ण किया जाना था।

गया जिले के 23 वार्डों में 23 योजनाओं के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि योजना केवल दो वार्डों (ग्राम पंचायत लोढाबे के वार्ड संख्या 11 और 13) में ही क्रियाशील थी। हालांकि, पाँच वार्डों की पाँच योजनाओं में जल भंडारण हेतु स्टेजिंग[7] प्रक्रिया और जल टॉवर का निर्माण पूर्ण किये बिना ही वितरण प्रणाली बिछाने और गृह जल संयोजन का कार्य किया गया था (₹ 85.09 लाख की लागत पर)। परिणामस्वरूप, घरों में जल केवल मोटर पंप के चालू रहने के दौरान ही उपलब्ध था क्योंकि भंडारण सुविधा निर्मित नहीं की गई थी। इस प्रकार, इन पाँच वार्डों के 1,370 परिवारों को निरंतर जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी ***(परिशिष्ट 3.4)***।

शेष 16 वार्डों[8] में कार्यों की स्थिति विस्तृत रूप से **तालिका 3.6** में दी गई है:

तलिका 3.6: शेष 16 योजनाओ की स्थिति (16 वार्ड)

वार्ड की संख्या	कार्य अपूर्ण रहने के कारण
8[9]	केवल बोरिंग कार्य किया गया हालांकि वह भी फेल हो गया[10]
4[11]	केवल बोरिंग कार्य किया गया और वह कार्यशील हैं, हालांकि शेष कार्य यथा पाइप बिछाना, मोटर पम्प, गृह जल संयोजन, स्टैजिंग इत्यादि नहीं किया गया।
4[12]	पाइप बिछाने का आंशिक कार्य तथा घरेलू सेवा कनेक्शन का कार्य किया गया, किन्तु मोटर पम्प की स्थापना एवं स्टेजिंग का कार्य नहीं किया गया।

(स्रोतः नमूना जांचित ग्राम पंचायतों के योजना अभिलेख)

---

6 *जल के अभाव वाले क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, पथरीले मैदानी क्षेत्र।*

7 *स्टेजिंग वह संरचना है जो भू–स्तर से आठ मीटर ऊँचाई पर निर्मित की जाती है, जिसके ऊपर जलाशय स्थापित किया जाता है।*

8 *ग्राम पंचायत लोधाबे के दो वार्डों (वार्ड संख्या 11 और 13) में योजना अपेक्षित रूप से क्रियाशील थी।*

9 *ग्राम पंचायत बारा–वार्ड संख्या 1, 2, 6, 9, 11 और 13, ग्राम पंचायत जेठीयन–वार्ड संख्या 4 और 7।*

10 *इन क्षेत्रों को जल–अभावग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा जल स्तर अत्यधिक निम्न होने के कारण बोरिंग करने पर भी जल उपलब्ध नहीं हो सका।*

11 *ग्राम पंचायत उत्तरी कजूर–वार्ड संख्या 6, 8 और 9, ग्राम पंचायत जेठीयन–वार्ड संख्या 3।*

12 *ग्राम पंचायत जेठीयन –वार्ड संख्या 1, 8, 9 और 10।*

अतः ₹1.26 करोड़ का व्यय किए जाने के बावजूद, आंशिक रूप से कार्य पूर्ण रहने के कारण इन 16 वार्डों में जलापूर्ति प्रारंभ नहीं हो सकी, जिससे 3,742 परिवार[13] हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत गृह जल संयोजन से वंचित रह गए ***(परिशिष्ट– 3.5)***।

- ***विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में जलापूर्ति की सेवा सुनिश्चित नहीं की गई***

पंचायती राज विभाग ने डीपीआरओ को निर्देश जारी किए (दिसंबर 2020) कि संबंधित वार्डों में स्थित सभी सरकारी विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों को अनिवार्य रूप से हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा जलापूर्ति प्रदान की जाए।

लेखापरीक्षा के दौरान 339 सरकारी संस्थानों (विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र आदि) में जल सेवा संयोजन की स्थिति का भी सत्यापन किया गया। इस प्रक्रिया में यह पाया गया कि उक्त 339 संस्थानों में से 159 संस्थानों में कोई जल संयोजन उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, जिन 180 संस्थानों में जल संयोजन स्थापित किए गए थे, उनमें से 28 संस्थानों में वास्तविक रूप से जलापूर्ति उपलब्ध नहीं थी।

- ***बहु–ग्राम पाइप जलापूर्ति योजना में आर्सेनिक–मुक्त जलापूर्ति की सेवा सुनिश्चित नहीं की गई***

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व द्वारा बहु–ग्राम पी.डब्ल्यू.एस. की शुरूआत (जनवरी 2013) ₹90.03 करोड़[14] के एकरारित मूल्य पर की गई थी, जिसका उद्देश्य भागलपुर जिले के सुल्तानगंज एवं नाथनगर प्रखंडों के आर्सेनिक प्रभावित 70 वार्डों में सतही जल स्रोत के माध्यम से सार्वजनिक स्टैंड पोस्टों द्वारा जल उपलब्ध कराना था। इस कार्य पर अक्टूबर 2017 तक ₹30.76 करोड़ का व्यय किया गया। तथापि, धीमी प्रगति के कारण यह योजना अक्टूबर 2017 में लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा निरस्त कर दी गई।

इसके पश्चात, जून 2019 में लो.स्वा. प्रमंडल, भागलपुर पूर्व द्वारा 70 वार्डों के 10,370 परिवारों को गृह जल संयोजन के उद्देश्य से एक संशोधित योजना (दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 के बीच) प्रारंभ की गई जिसका एकरारित मूल्य ₹18.75 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, प्रमंडल द्वारा सतही जल स्रोत के लंबित कार्यों को पूर्ण करने हेतु ₹45.35 करोड़ का एक अन्य एकरारनामा भी निष्पादित किया गया। इन योजनाओं के कार्यक्षेत्र में लंबित सतही जल घटकों को पूर्ण करना एक एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर का निर्माण, वितरण प्रणाली का बिछाव तथा गृह जल संयोजन की स्थापना सम्मिलित थी।

बाद में, लो.स्वा.अभि.वि. ने कार्यक्षेत्र में संशोधन करते हुए (जून 2020) सतही जल स्रोत के निर्माण में विलंब के कारण उच्च क्षमता वाले नलकूपों का निर्माण तथा मोटर पंपों की स्थापना द्वारा भू–जल स्रोत से भी जलापूर्ति को भी सम्मिलित किया गया। तथापि, इसके अंतर्गत इन 70 वार्डों के आर्सेनिक प्रभावित होने के बावजूद योजना में भूजल को आर्सेनिक मुक्त करने के उपायों का प्रावधान शामिल नहीं किया गया।

---

[13] *केवल 13 वार्डों के परिवारों का ही विवरण उपलब्ध था। तीन वार्डों (उत्तरी कजूर के वार्ड संख्या 6, 8 और 9) के परिवारों का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।*

[14] *F_2–15/2022–23: ₹71.28 करोड़ (जनवरी 2013), एसबीडी–50/2019–20: ₹3.61 करोड़ (दिसम्बर 2019), एसबीडी–51/2019–20: ₹4.04 करोड़ (दिसम्बर 2019), एसबीडी–66/2019–20: ₹4.02 करोड़ (फरवरी 2020), एसबीडी– 67/2019–20: ₹ 4.19 करोड़ (फरवरी 2020), एसबीडी–68/2019–20: ₹2.89 करोड़ (फरवरी 2020)।*

संशोधित कार्यक्षेत्र के अनुपालन में, लो.स्वा. प्रमंडल ने जुलाई 2022 तक आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिया, जिससे भागलपुर जिले के सुल्तानगंज एवं नाथनगर प्रखंडों के 70 वार्डों में 10,370 परिवारों को पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित की गई। इस पर ₹16.05 करोड़ की लागत आई। तथापि, भूजल को आर्सेनिक मुक्त बनाने के उपायों का प्रावधान न होने के कारण इन योजनाओं को बिना आर्सेनिक निवारण व्यवस्था के ही प्रारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त, ₹15.41 करोड़ का व्यय किए जाने के बावजूद सतही जल स्रोत के विकास से संबंधित कार्य अपूर्ण ही रहे। (नवंबर 2023)

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2023) के दौरान क्षेत्रीय जल परीक्षण प्रयोगशाला, भागलपुर में जल गुणवत्ता परीक्षण किया गया और पाया गया कि तीन भू–जल स्रोतों[15] में आर्सेनिक की मात्रा वांछित सीमा से अधिक थी, जिनसे 39 वार्डों के 6,430 परिवारों को जलापूर्ति की जा रही थी। परिणामस्वरूप, ₹62.22 करोड़ का व्यय किए जाने के बावजूद आर्सेनिक–मुक्त जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं होने के कारण 10,370 परिवार भी आर्सेनिक–मुक्त नल–जल से वंचित रहे।

3.3.2.2 पंचायती राज विभाग वार्डों में जलापूर्ति की सेवा सुनिश्चित नहीं की गई

पंचायती राज विभाग द्वारा जारी हर घर नल का जल योजना के दिशा–निर्देश (जून 2017) के अनुसार, इस योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर (गैर गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण वार्डों के लिए) जिला जल एवं स्वच्छता समिति के पर्यवेक्षण में किया जाना था, जिसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी करते हैं तथा डीपीआरओ भी इसके सदस्य होते हैं। यह समिति योजना के क्रियान्वयन, कार्यों की प्रगति की निगरानी, सामाजिक जागरूकता तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन आदि के लिए उत्तरदायी थी। वार्ड स्तर पर, प.रा.वि. को ग्राम पंचायतों के डब्ल्यू.आई.एम.सी. के माध्यम से ग्रामीण वार्डों में हर घर नल का जल योजना लागू करना था।

इस परिप्रेक्ष्य में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2016–17 से 2022–23 के दौरान 152 नमूना जांचित ग्रामीण वार्डों में 152 कार्य विभिन्न कारणों से अपूर्ण रहे, जिनका विवरण ***परिशिष्ट 3.6*** में तथा सारांश **तालिका 3.7** में दिया गया है।

तालिका 3.7: नमूना जांचित प.रा.वि. वार्ड जहाँ कार्य अपूर्ण रह गए

क्रम संख्या	जिला का नाम	अपूर्ण वार्डों की संख्या	अपूर्ण कार्य का कारण
1	औरंगाबाद	61	राशि की उपलब्धता के बावजूद डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं किया जाना, राशि की कमी, तथा डब्ल्यू. आई.एम.सी. द्वारा राशि का दुरुपयोग।
2	दरभंगा	28	राशि की कमी, डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़ना, डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा राशि का दुरुपयोग, तथा संवेदकों द्वारा कार्य परित्यक्त करना[16]।
3	गया	41	राशि का हस्तांतरण न होना, डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा राशि का दुरुपयोग, तथा कार्यों को अपूर्ण छोड़ देना।
4	गोपालगंज	3	

[15] *अनुमेय सीमाः 0.01 मि.ग्रा./ली. जांच परिणाम–रन्नुचक स्थलः 0.012 मि.ग्रा/ली (एसबीडी–51), हरदासपुर –गोसाईदासपुर स्थलः 0.012 मि.ग्रा/ली (एसबीडी–66) और शाहपुर–राघोपुर स्थलः 0. 034 मि.ग्रा./ली (एसबीडी–68)।*

[16] *कार्य को संवेदक को आवंटित किया गया, जबकि यह पं.रा.वि. द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के अंतर्गत निषिद्ध था।*

क्रम संख्या	जिला का नाम	अपूर्ण वार्डों की संख्या	अपूर्ण कार्य का कारण
5	जमुई	5	भूमि विवाद, आदि के कारण डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़ दिए गए असफल बोरिंग, विद्युत संयोजन संबंधी समस्याएं ।
6	मधुबनी	2	राशि का दुरुपयोग, राशि की उपलब्धता के बावजूद डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़ना।
7	सारण	1	राशि की उपलब्धता के बावजूद डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़ना।
8	पश्चिमी चंपारण	11	
	कुल	**152**	

अतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों से स्पष्ट हुआ कि हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत 152 जलापूर्ति कार्य ग्रामीण वार्डों में अपूर्ण रहे। इसके पीछे गंभीर त्रुटियाँ थीं, जैसे धन का दुरुपयोग, धन की हेराफेरी, धन का हस्तांतरण न होना तथा डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा क्रियान्वयन अनुदेशों का अनुपालन न करना आदि। इन मुद्दों से कमजोर वित्तीय पर्यवेक्षण, जिला जल एवं स्वच्छता समितियों तथा जिला पंचायती राज पदाधिकारियों द्वारा अपर्याप्त निगरानी और योजना क्रियान्वयन में जमीनी स्तर पर तंत्रगत कमियाँ का पता चलता है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार (जून 2025) करते हुए उत्तर दिया कि प.रा.वि. के अंतर्गत सभी योजनाएँ लो.स्वा.अभि.वि. को हस्तांतरित कर दी गई हैं और कार्य प्रगति पर है।

3.3.2.3 शहरी क्षेत्र में अपूर्ण हर घर नल का जल योजना

हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना का क्रियान्वयन बिहार के 143 नगरों के 3,370 शहरी वार्डों में श.स्था.नि. एवं बुडको द्वारा किया जाना था तथा इसे वर्ष 2019–20 तक पूर्ण किया जाना था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि योजनाओं की स्वीकृति तिथि (2015–16 से 2020–21) से दो से सात वर्ष बीत जाने और ₹554.63 करोड़ का व्यय होने के बाद भी 37 नमूना जांचित योजनाएँ जो कि 232 वार्डों को आच्छादित करने हेतु थी, अपूर्ण रहीं (मार्च 2023 तक)। अपूर्ण होने के कारणों में संवेदकों द्वारा कार्य छोड़ देना (14 वार्डों में), जल स्रोत का न मिलना (आठ वार्डों में) तथा संवेदकों के साथ एकरारनामा में विलंब/एकरारनामा निष्पादन न होने के कारण 76 वार्डों में कार्य प्रारंभ न होना शामिल था। इन योजनाओं के अपूर्ण रहने के परिणामस्वरूप 1,51,557 शहरी परिवार पी.डब्ल्यू.एस. के लाभ से वंचित रह गए। इसके अतिरिक्त, हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत लक्षित परिवारों को 100 प्रतिशत आच्छादित करने का सरकार का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सका। इन अपूर्ण योजनाओं का विवरण ***परिशिष्ट 3.7*** में प्रदर्शित है।

3.3.3 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत अकार्यशील योजनाएँ

हर घर नल का जल योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण वार्डों में लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं के मामले में कार्य पूर्ण होने के बाद संचालन एवं अनुरक्षण (मरम्मत सहित) का दायित्व पाँच वर्षों की अवधि तक संवेदकों द्वारा निभाया जाना था। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण स्वयं डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा किया जाना था। शहरी वार्डों के मामले में, हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत योजनाओं के पूर्ण होने के बाद संचालन एवं अनुरक्षण कार्य पाँच वर्षों तक संवेदकों द्वारा किया जाना था।

योजनाओं के सतत् संचालन एवं निर्बाध जलापूर्ति के लिए योजनाओं का नियमित संचालन एवं अनुरक्षण आवश्यक था। तथापि, नमूना जांचित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लेखापरीक्षा ने पाया कि संचालन एवं अनुरक्षण की कमी के कारण अनेक योजनाएँ अक्रियाशील रहीं, जैसा कि आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की योजनाएँ: नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि दो लो.स्वा. प्रमंडलों (झंझारपुर और मधुबनी) में संबंधित कार्यपालक अभियंता ने प्रतिवेदित किया कि (अक्टूबर 2023) कि छह योजनाओं के अंतर्गत 28 वार्डों में जलापूर्ति कार्य पूर्ण (₹ 3.91 करोड़ के व्यय) होने की तिथि (फरवरी 2020 से जुलाई 2021) से दो से तीन वर्षों के भीतर ही बाधित हो गई। इसके पीछे विभिन्न कारण थे, जैसे बोरिंग असफलता, वितरण प्रणाली में अवरोध, वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त होना आदि, जैसा कि **तालिका 3.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8: पी.डब्ल्यू.एस. के अंतर्गत आच्छादित वार्डों में से जलापूर्ति बाधित वार्डों की विवरणी

क्रम संख्या	प्रमंडल का नाम (योजना बाधित होने की सूचना की अवधि)	पी.डब्ल्यू. एस. का नाम	योजना पूर्ण होने की तिथि	व्यय (₹ लाख में)	वार्ड जहाँ जलापूर्ति बाधित थी	कारण	संचालन एवं अनुरक्षण का अंतिम भुगतान का माह
1	झंझारपुर (सितंबर 2023)	अररिया संग्राम	अक्टूबर 2020	27.18	9, 12, 13, 14	पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति बाधित	जनवरी 2023
2	झंझारपुर (सितंबर 2023)	बाबूबरही	फरवरी 2020	39.47	3, 5		अक्टूबर 2022
3	झंझारपुर (सितंबर 2023)	सिसवा बरही	फरवरी 2021	131.20	2, 3, 9		मई 2023
4	मधुबनी (अक्टूबर 2023)	मधवापुर	फरवरी 2020	28.32	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10	असफल बोरिंग	संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान नहीं
5	मधुबनी (अक्टूबर 2023)	पंडौल पुर्बी	मई 2020	20.84	2, 3, 4, 5, 6, 7	असफल बोरिंग	जून 2022
6	मधुबनी (अक्टूबर 2023)	बसोपट्टी पूर्वी	जुलाई 2021	143.79	3, 4, 5, 6, 10	पाइप लाइन जाम (अंशतः बाधित)	मई 2023
	कुल			**390.80**	**28**		

(स्रोतः नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों के योजनाओ से संबंधित अभिलेख)

उपरोक्त योजनाओं के लिए संचालन एवं अनुरक्षण की अवधि का आकलन लेखापरीक्षा द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा किए गए भुगतानों के आधार पर किया गया। इस संबंध में यह पाया गया कि जहाँ एक मामले (मधवापुर) में संचालन एवं अनुरक्षण किए जाने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था, वहीं अन्य मामलों में अंतिम संचालन एवं अनुरक्षण की अवधि योजनाओं के पूर्ण होने के दो से तीन वर्षों तक ही सीमित रही, जिससे उनकी नियमित कार्यप्रणाली प्रभावित हुई।

लेखापरीक्षा ने आगे यह भी देखा कि क्रम संख्या 4 और 5 पर उल्लिखित दो योजनाओं की अकार्यशीलता की समस्या को दूर करने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा ट्यूबवेल स्थापना के लिए प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु भेजा गया। तथापि, नवंबर 2023 तक लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

- **पंचायती राज विभाग की योजनाएँः** प.रा.वि. के निश्चय सॉफ्ट पोर्टल[17] पर उपलब्ध जानकारी तथा संबंधित ग्राम पंचायतों/वार्डों द्वारा उपलब्ध कराई गई योजनाओं की स्थिति के आधार पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि 134 वार्डों में 134 योजनाएँ प्रमुख/गौण समस्याओं जैसे बोरिंग असफलता, मोटर जल जाना, वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त होना, पानी की टंकी क्षतिग्रस्त होना, विद्युत सम्बांधित समस्या, वार्ड सदस्यों की योजना संचालित करने में रुचि का अभाव आदि के कारण 3 से 36 माह से अकार्यशील रहीं। इस प्रकार, उचित अनुरक्षण के अभाव में ये योजनाएँ ₹ 15.84 करोड़ का व्यय होने के बावजूद अकार्यशील हो गईं ***(परिशिष्ट 3.8)***।

चूँकि प.रा.वि. योजनाएँ लो.स्वा.अभि.वि. को हस्तांतरित कर दी गई हैं, अतः लो.स्वा.अभि. वि. ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए (जून 2025) जवाब दिया कि योजनाओं को एकरारित संवेदकों के माध्यम से कार्यशील बनाया जा रहा है।

- **शहरी स्थानीय निकाय की योजनाएँः** नगर निकाय, झंझारपुर के दो वार्डों में 1,036 परिवारों हेतु जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन बुडको द्वारा संवेदक के साथ किए गए एकरारनामा (मई 2019) के अंतर्गत किया जाना था। तथापि, परियोजना के संचालन एवं अनुरक्षण का प्रावधान एकरारनामा में नहीं किया गया था। यह योजना मई 2019 से मई 2020 की अवधि में ₹ 2.05 करोड़ के व्यय पर दोनों वार्डों में पूर्ण की गई। तत्पश्चात, बुडको ने (जनवरी 2021) इस योजना को संचालन एवं अनुरक्षण हेतु नगर निकाय, झंझारपुर को हस्तांतरित कर दिया। किन्तु लेखापरीक्षा ने पाया कि (अगस्त 2023 तक) पंप संचालक की अनुपलब्धता के कारण यह परियोजना अकार्यशील रही।

उपरोक्त लेखापरीक्षा आपत्ति पर, श.स्था.नि. झंझारपुर के कार्यपालक अभियंता ने बताया (नवंबर 2023) कि न.वि. एवं आ.वि. से किसी भी प्रकार के निर्देशों के अभाव में इस योजना हेतु संचालन एवं अनुरक्षण सहित पंप संचालक की व्यवस्था नहीं की गई।

अतः अंतर्विभागीय समन्वय की कमी के कारण यह योजना अकार्यशील रही और हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत पाइप जलापूर्ति के लाभ से 1,036 परिवार वंचित रह गए।

3.3.4 हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत अनुबंध प्रबंधन

उपरोक्त उल्लेखित कमियों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा अनुबंध के आवंटन में अनियमितता, अनुबंध की धाराओं के अनुपालन न होना आदि भी पाया गया, जैसा कि आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.3.4.1 अनुबंध की धाराओं का अनुपालन न करने से संवेदकों को अनुचित लाभ प्राप्त होना

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा (जून 2019) जारी आदर्श निविदा दस्तावेज की धारा 12 के अनुसार, हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य में किसी भी अतिरिक्त वस्तु की मात्रा अनुबंध का हिस्सा उस प्रकार से मानी जाएगी, मानो वह

---

[17] *पं.रा.वि. ने एक वेबसाइट (prdNischaysoft.bih.nic.in) संचालित की थी, जहाँ हर घर नल जल योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रदर्शित की जाती थी। उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध जल नियंत्रण मॉड्यूल में तकनीकी सहायक द्वारा की गई योजना की भौतिक जांच भी दर्शाई गई थी।*

प्रारंभ से ही प्रदान की गई हो, और उसे संवेदक द्वारा उन्हीं शर्तों पर, सभी दृष्टियों से, उसी मूल्य/दर पर निष्पादित किया जाएगा, जिस पर संवेदक ने मुख्य कार्य करने के लिए सहमति दी थी।

दो नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडल के अभिलेखों की जाँच से यह सामने आया कि 2019–20 में 8,393 परिवारों को लाभ पहुँचाने हेतु जलापूर्ति योजनाएँ के लिए ₹ 12.64 करोड़ मूल्य के सात एकरानामाओं को अंतिम रूप दिया गया। इन एकरारनामा के दायरे में सभी सामग्री, श्रम, औजार आदि की आपूर्ति से संबंधित घटक शामिल थे। तथापि, कार्यों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर, इन प्रमंडलों द्वारा 2020–21 से 2022–23 की अवधि में ₹3.45 करोड़ की लागत से पूरक एकरारनामा निष्पादित किए गए, जिनमें समान वस्तुओं की अतिरिक्त मात्रा जैसे प्रत्येक परिवार के लिए गृह संयोजन प्रदान करने के साथ सभी सामग्री, श्रम, औजार आदि की आपूर्ति शामिल थी, ताकि 3,860 अतिरिक्त परिवारों को लाभ पहुँचाया जा सके। लेखापरीक्षा जाँच से यह स्पष्ट हुआ कि सात अनुबंधों में, संबंधित दोनों प्रमंडलों ने पूरक एकरारनामा में प्राथमिक एकरारनामा की तुलना में अधिक दरें लीं और उसी अनुसार भुगतान किया। विवरण **तालिका 3.9** में दिया गया है।

तालिका 3.9: प्राथमिक एवं पूरक अनुबंध के अनुसार एच.एस.सी. की दरों में अंतर का विवरण

क्रम संख्या	लो.स्वा. प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या (प्राथमिक एकरारनामा की राशि)	प्राथमिक एकरारनामा का वर्ष (परिवार की संख्या)	पूरक एकरारनामा का वर्ष (परिवार की संख्या)	प्राथमिक एकरारनामा के अनुसार प्रति गृह संयोजन का मूल्य	पूरक एकरारनामा में प्रति गृह संयोजन का मूल्य (पूरक एकरारनामा की राशि)	मदों के मूल्य में अंतर (कॉलम 7–6)	पूरक एकरारनामा में क्रियान्वित (गृह संयोजन की संख्या)	किया गया अधिकाई भुगतान (कॉलम 9*8) (₹ लाख में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	भागलपुर पश्चिम	एसबीडी –67 एवं 68 (₹ 4.59 करोड़[18])	2019-20 (2,478 + 1,607)	2022-23 (2,010+ 1,150)	2,123	2,365 (₹ 1.81 करोड़+ ₹ 0.67 करोड़)	242	3,160 (1,150+ 2,010)	7.65
2	मधुबनी	एसबीडी -55 (₹ 1.72 करोड़)	2019-20 (822)	2020-21 (150)	1,000	1,931 (₹ 0.18 करोड़)	931	150	1.40
		एसबीडी -56 (₹ 1.67 करोड़)	2019-20 (736)	2020-21 (225)	1,000	1,931 (₹ 0.20 करोड़)	931	225	2.09
		एसबीडी -15 (₹ 1.35 करोड़)	2019-20 (850)	2021-22 (90)	1,425	2,123 (₹ 0.07 करोड़)	698	90	0.63
		एसबीडी -30 (₹ 1.68 करोड़)	2019-20 (975)	2020-21 (85)	2,050	2,123 (₹ 0.22 करोड़)	73	85	0.06
		एसबीडी -35 (₹ 1.63 करोड़)	2019-20 (925)	2020-21 (150)	1,400	2,123 (₹ 0.30 करोड़)	723	150	1.08
	योग	**₹ 12.64 करोड़**	**8,393**	**3,860**		**₹ 3.45 करोड़**		**3,860**	**12.91**

(स्रोतः नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों के योजनाओ से संबंधित अभिलेख)

[18] *एसबीडी–67 (₹2.37 करोड़) और एसबीडी–68 (₹2.22 करोड़)।*

अतः संबंधित प्रमंडलों ने न केवल अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया बल्कि दो लो.स्वा. प्रमंडलों में सात कार्यों के लिए संवेदकों को ₹ 12.91 लाख का अतिरिक्त भुगतान भी किया।

जवाब में, लो.स्वा.अभि.वि. ने (जून 2025) कहा कि रेट्रोफिटिंग का प्रावधान प्राथमिक अनुबंध में शामिल नहीं था, बल्कि इसे पूरक अनुबंध में सम्मिलित किया गया, जिसके कारण दरों में वृद्धि हुई।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पूरक अनुबंध में शामिल कार्य की मदें प्राथमिक अनुबंध के समान ही थीं और गृह सेवा संयोजन के साथ रेट्रोफिटिंग का कोई उल्लेख नहीं था।

3.3.4.2 संवेदकों को अतिरिक्त एवं अनियमित भुगतान

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा (जून 2019) जारी आदर्श एकरारनामा दस्तावेज की धारा 2.1 के अनुसार, किसी भी कार्य मद का भुगतान तभी किया जाना चाहिए जब वह विनिर्देशों, अनुबंध की शर्तों तथा अभियंता–प्रभारी के निर्देशों के अनुसार पूर्ण किया गया हो। आगे, आदर्श एकरारनामा दस्तावेज की धारा 6 के अनुसार, अभियंता–प्रभारी को अनुबंध के अनुरूप कार्य की मापी निर्धारित करना और कार्य का मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए। अभियंता–प्रभारी अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि तथा संवेदक अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से सभी मापी और उनका स्तर लिया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच नमूना जांचित किए गए लो.स्वा. प्रमंडलों ने 2018–19 और 2019–20 के दौरान 14 मामलों में ऐसे कार्यों के लिए ₹ 2.31 करोड़ का भुगतान किया, जो वास्तव में क्रियान्वित ही नहीं किए गए थे (जैसा कि ***परिशिष्ट–3.9*** में विस्तृत रूप से बताया गया है)।

- शेरघाटी प्रमंडल में, कार्य के अंतिम मापी (मई 2023) के अनुसार, कार्य का कुल क्रियान्वित मूल्य ₹ 41.59 लाख था, तथापि, प्रमंडल द्वारा संवेदक को ₹ 69.45 लाख का भुगतान किया गया। यह देखा गया कि फरवरी 2020 से नवंबर 2021 की अवधि के दौरान अंतिम मापी से पूर्व अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया था। जबकि वास्तविक क्रियान्वित कार्य (अंतिम मापी के आधार पर) उस राशि से कम था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 27.86 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

जवाब में, लो.स्वा.अभि.वि. ने (जून 2025) स्वीकार किया कि अतिरिक्त राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

- लो.स्वा. प्रमंडल, शेरघाटी में 2019–20 के दौरान तीन जलापूर्ति योजनाएँ ली गईं, जिनमें 3 एचपी के 15 मोटरों की अधिष्ठापन की व्यवस्था शामिल थी, जिनकी डिस्चार्ज क्षमता 2.5 से 3 लीटर प्रति सेकंड (एलपीएस) थी। लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि अनुबंध में 3 एचपी मोटरों का प्रावधान होने के बावजूद संवेदक द्वारा केवल 1 एचपी या 2 एचपी[19] का ही मोटर स्थापित किया गया। तथापि, संबंधित अभियंता–प्रभारी ने जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 की अवधि में 3 एचपी की 15 मोटरों की स्थापना पर ₹ 14.04 लाख का भुगतान किया, जबकि 1 या 2 एचपी मोटरों की स्थापना हेतु केवल ₹ 9.40 लाख[20]

---

[19] *2 एचपी मोटर : –14, 1 एचपी मोटरः–1।*

[20] *2 एचपीः 14 मोटर @₹ 64,403 प्रति (₹ 9,01,642) + 1 एचपीः 01 मोटर @ ₹ 37,903 = ₹ 9,39,545।*

देय था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 4.64 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

जवाब में, लो.स्वा.अभि.वि. ने (जून 2025) कहा कि भुगतान एकरारनामा की प्रावधानों के अनुसार किया गया। तथापि, यह जवाब लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुरूप नहीं था क्योंकि प्रमंडल ने एकरारनामा के प्रावधानों से अधिक भुगतान किया।

- गया डिवीजन में, 2019–20 में निष्पादित किए गए एक एकरारनामा के अंतर्गत छह वार्डों के लिए पी.डब्ल्यू.एस. का कार्य किया गया। इस एकरारनामा का मूल्य ₹ 2.21 करोड़ था, जिसमें ₹ 0.87 करोड़ की संचालन एवं अनुरक्षण लागत भी शामिल थी। यह देखा गया कि फरवरी 2022 में कार्यपालक अभियंता लो.स्वा. प्रमंडल, गया की स्वीकृति से सात वार्डों के लिए संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान किया गया, जबकि कार्य केवल छह वार्डों में ही निष्पादित हुआ था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 4.86 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

- लो.स्वा. प्रमंडल खगड़िया ने 2019–20 में हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत 23 वार्डों में 16 केएलपीएच क्षमता वाले आईआरपी की स्थापना हेतु सात एकरारनामा निष्पादित किए। प्रमंडल ने 16 केएलपीएच क्षमता वाले 23 आई.आर.पी. की स्थापना के लिए ₹ 2.07 करोड़ का भुगतान किया। तथापि, स्थापित आई.आर.पी. की तृतीय पक्ष सत्यापन में यह प्रतिवेदित किया गया कि इनकी क्षमता निर्धारित 16 केएलपीएच के स्थान पर केवल 12 केएलपीएच थी। इस प्रकार, 12 केएलपीएच क्षमता वाले स्थापित आईआरपी के लिए ₹ 1.61 करोड़ का भुगतान देय था, जबकि प्रमंडल ने ₹ 2.07 करोड़ का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 46 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

- जिला पदाधिकारी, भागलपुर ने कार्यपालक अभियंता, लो.स्वा. प्रमंडल, भागलपुर (पूर्वी) को सूचित (जुलाई 2020) किया कि गोपालपुर प्रखंड के बाबूटोला कमलाकुंड पंचायत के वार्ड संख्या 7 एवं 8 तथा नौगछिया प्रखंड के पुनामा प्रतापनगर पंचायत के वार्ड संख्या 8,9,10,11 एवं 12 कटावग्रस्त हो गए हैं और तदनुसार हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत वार्डों के कवरेज का लक्ष्य संशोधित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस सूचना से पूर्व, पुनामा प्रतापनगर ग्राम पंचायत के कटावग्रस्त वार्डों के लिए हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत दो एकरारनामा निष्पादित (सितंबर 2019) किए गए थे। यद्यपि जिला पदाधिकारी, भागलपुर ने इन वार्डों को कटावग्रस्त घोषित (जुलाई 2020) किया था, फिर भी लो.स्वा. प्रमंडल, भागलपुर पूर्व ने सितंबर 2023 तक इन वार्डों में जलापूर्ति योजना के घटकों (गृह संयोजन, आईआरपी की स्थापना, ओवरहेड टैंक हेतु स्टेजिंग, क्लोरीनेटर आदि) तथा संचालन एवं अनुरक्षण पर निरंतर भुगतान किया।

संबंधित लो.स्वा. प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता वास्तविक कार्य की मापी लेने के लिए उत्तरदायी थे, जिसके आधार पर भुगतान किया जाना था। तथापि, कार्यपालक अभियंता अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे क्योंकि कार्य निष्पादित किए बिना ही भुगतान कर

दिया गया। फरवरी 2021 से सितंबर 2023 की अवधि के दौरान, इन वार्डों के कटावग्रस्त[21] होने के बावजूद लो.स्वा. प्रमंडल द्वारा ₹ 1.47 करोड़ का भुगतान किया गया।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने (जून 2025) जवाब दिया कि कार्य स्थल के कटाव के बाद संबंधित कार्य को स्थानांतरित स्थल पर निष्पादित किया गया और तदनुसार संवेदक को भुगतान किया गया। तथापि, विभाग का यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बोरिंग एवं वितरण प्रणाली का कार्य संवेदक द्वारा मूल स्थल पर पहले ही किया जा चुका था (अप्रैल 2020 एवं जुलाई 2020)। इसके अतिरिक्त, उक्त कार्य के मापी पुस्त के अनुसार किसी भी नए योजना स्थल पर बोरिंग कार्य क्रियान्वयन नहीं दिखाया गया था तथा शेष कार्य का क्रियान्वयन भी मूल स्थल के मापी पुस्त में ही दर्शाया गया था।

इसके अतिरिक्त, संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव ने (दिसंबर 2023) लेखापरीक्षा को सूचित किया कि कटावग्रस्त वार्ड की संपूर्ण जनसंख्या नौगछिया नगर क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई है और यह नगर क्षेत्र लो.स्वा.अभि.वि. के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

3.3.4.3 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्धारित दरों का अनुपालन न करना

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने (जुलाई 2018) हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं में प्रयुक्त विभिन्न घटकों की दरें निर्धारित की थीं, जिनमें विभिन्न व्यास की पाइपों की दरें भी शामिल थीं।

लो.स्वा. प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम तथा लो.स्वा. प्रमंडल, भागलपुर पूर्व द्वारा 300 वार्डों के लिए दो सतही जल योजनाएँ, जो स्टैंड–पोस्ट आधारित थीं, क्रमशः जनवरी 2013 और अगस्त 2015 में प्रारंभ की गईं। तत्पश्चात, लो.स्वा.अभि.वि. ने (अगस्त 2018) इन योजनाओं को हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत नल–जल योजनाओं के रूप में पूर्ण करने का निर्णय लिया। तदनुसार, प्रमंडलों ने योजनाओं का संशोधित प्राक्कलन तैयार किया (दिसंबर 2018), जिसमें वितरण प्रणाली और गृह कनेक्शन को शामिल किया गया। संशोधित प्राक्कलनों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि वितरण प्रणाली में 50 मिमी, 63 मिमी और 75 मिमी व्यास की एचडीपीई पाइपों का उपयोग किया गया। आगे यह देखा गया कि संशोधित प्राक्कलनों में प्रमंडलों ने लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा निर्धारित दरों का पालन किया, किन्तु 75 मिमी व्यास की पाइप से संबंधित एक घटक के लिए यह पालन नहीं किया गया, जहाँ प्रयुक्त दरें लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा निर्धारित दरों से अधिक थीं। प्रमंडलों ने 75 मिमी पाइप की उच्च दर के आधार पर एकरारनामा निष्पादित किए और तदनुसार भुगतान भी किया, जैसा कि **तालिका 3.10** में विस्तृत रूप से दिखाया गया है।

---

[21] *एकरारनामा संख्या 75/2019–20 के विरुद्ध ₹26.88 लाख का भुगतान किया गया (वार्ड संख्या 12 के कटावग्रस्त होने के बाद) तथा एकरारनामा संख्या 76/2019–20 के विरुद्ध ₹120.31 लाख का भुगतान किया गया (वार्ड संख्या 8,9,10 एवं 11 के कटावग्रस्त होने के बाद)।*

तालिका 3.10: एच.डी.पी.ई. पाइप की दर में अंतर के कारण अधिक भुगतान

लो.स्वा. प्रमंडल का नाम	एकरारनामा संख्या/वर्ष	मद का नाम (इकाई)	प्राक्कलन दर (₹ प्रति मीटर में)	लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा निर्धारित दर (₹ प्रति मीटर में)	दर में अंतर (₹ प्रति मीटर में)	क्रियान्वित मात्रा (मीटर)	अधिक व्यय (₹ लाख में)
भागलपुर पूर्वी	एसबीडी –03/ 2018–19	75 मिमी एचडीपीई पाइप (मीटर)	247.88	239.81	8.07	2,35,950	19.04
भागलपुर पश्चिमी	एसबीडी–50, 66, 67 और 68/2019–20	75 मिमी एचडीपीई पाइप (मीटर)	249.81	239.81	10.00	31,370	3.14
कुल							**22.18**

(स्रोतः नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों के योजनाओ से संबंधित अभिलेख)

अतः लो.स्वा.अभि.वि. के मानक प्राक्कलन का अनुपालन न करने के कारण संबंधित नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों द्वारा संवेदक को ₹ 22.18 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

लो.स्वा.अभि.वि. ने जवाब (जून 2025) दिया कि 75 मिमी एच.डी.पी.ई. पाइप की दर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित थी। तथापि, यह जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया और 75 मिमी पाइप की दर विभाग द्वारा अनुमोदित दर से अधिक थी।

3.3.4.4 लौह निष्कासन संयंत्र (आई.आर.पी.) स्थापित किए बिना ही कपटपूर्ण भुगतान

आई.आर.पी. जलापूर्ति योजना का एक आवश्यक घटक है, जिसे पानी में आयरन के प्रदूषण को कम करने और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। न.वि. एवं आ.वि. ने गुणवत्ता प्रभावित शहरी वार्डों में आयरन के प्रदूषण को कम करने हेतु आवश्यक क्षमता के आई.आर.पी. स्थापित करने का निर्देश दिया (अक्टूबर 2016) था। शहरी वार्डों में जलापूर्ति योजनाओं की देखरेख और निगरानी नगर निकायों के कार्यपालक अधिकारियों द्वारा की जानी थी, जो जलापूर्ति व्यवस्था के प्रत्येक घटक की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी थे।

हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन श.स्था.नि. बीरपुर और बेनीपुर के तीन वार्डों में तीन योजनाओं के अंतर्गत ₹ 1.09 करोड़[22] के एकरारित मूल्य पर 1,250 परिवारों को आच्छादित करने हेतु किया जा रहा था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस कार्य के मापी पुस्त में दर्ज विवरण के अनुसार, श.स्था.नि. बीरपुर के वार्ड संख्या 4 के एक कार्य में, संवेदक को एक आई.आर.पी. की स्थापना हेतु ₹ 3.16 लाख का भुगतान किया गया (मई 2019)।

इसी प्रकार, श.स्था.नि. बेनीपुर में, वार्ड संख्या 8 और 17 में दो आई.आर.पी. की स्थापना हेतु संवेदक को ₹ 12.60 लाख का भुगतान किया गया (नवंबर 2018 और अप्रैल 2019)। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा श.स्था.नि. अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन (जून 2023 से सितंबर 2023) में यह पाया गया कि तीनों वार्डों में किसी भी स्थल पर आई.आर.पी. स्थापित नहीं किए गए थे।

---

22 *बीरपुरः वार्ड संख्या 4: ₹ 21.99 लाख 250 परिवारों के लिए, बेनीपुरः वार्ड संख्या 8: ₹ 39.45 लाख 500 परिवारों के लिए, वार्ड संख्या 17: ₹ 48.04 लाख 500 परिवारों के लिए।*

बीरपुर नगर परिषद्, सुपौल के वार्ड संख्या 4 की जलापूर्ति योजना (बाएँ तरफ) तथा जलापूर्ति योजना के पंप हाउस में आई.आर.पी. स्थापित नहीं (दाएँ तरफ)।

बेनीपुर नगर परिषद्, दरभंगा के वार्ड संख्या 17 में जलापूर्ति योजना (बाएँ तरफ) तथा जलापूर्ति योजना के पंप हाउस में आई.आर.पी. स्थापित नहीं (दाएँ तरफ)।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि आई.आर.पी. अधिष्ठापित नहीं किए गए थे, फिर भी संबंधित श.स्था.नि. के कनीय अभियंता द्वारा दो आई.आर.पी. (वार्ड संख्या 8 एवं 17 श.स्था.नि. बेनीपुर तथा एक आई.आर.पी. बीरपुर) अधिष्ठापित करने का मापी लिया गया और तदनुसार भुगतान किया गया। इस प्रकार, वास्तविक अधिष्ठापित सुनिश्चित किए बिना मापी पुस्त में गलत प्रविष्टि के कारण संवेदकों को ₹ 15.76 लाख का कपटपूर्ण भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं के अंतर्गत 1,250 परिवार लौह से मुक्त पेयजल आपूर्ति से वंचित रह गए।

न.वि. एवं आ.वि. ने जवाब (जून 2025) दिया कि श.स्था.नि. बीरपुर में अब आई.आर.पी. अधिष्ठापित कर दिया गया है, तथापि श.स्था.नि. बेनीपुर में आई.आर.पी. के अधिष्ठापित न होने संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

3.4 संचालन एवं अनुरक्षण

जलापूर्ति प्रणाली के कुशल संचालन एवं अनुरक्षण का उद्देश्य सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त मात्रा एवं अपेक्षित गुणवत्ता में, तथा जलापूर्ति का प्रवाह पर्याप्त दबाव के साथ उपलब्ध कराना है ताकि वितरण प्रणाली के अंतिम छोर तक जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। जलापूर्ति योजनाओं के उचित संचालन एवं अनुरक्षण की कमी से जल वितरण प्रणालियों की उपयोगी आयु में गिरावट आती है, जिसके परिणामस्वरूप घटकों का समयपूर्व प्रतिस्थापन आवश्यक हो जाता है।

3.4.1 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत योजनाओ का संचालन एवं अनुरक्षण

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा संवेदकों के माध्यम से ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के पूर्ण होने के बाद, इन योजनाओं के संचालन, अनुरक्षण एवं देखरेख की जिम्मेदारी

अगले पाँच वर्षों तक उन्हीं संवेदकों को सौंपी गई जिन्होंने योजना का निर्माण कार्य किया था।

लेखापरीक्षा के दौरान हर घर नल का जल योजना के संचालन एवं अनुरक्षण में निम्न विसंगतियाँ पायी गयी।

3.4.1.1 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान न किया जाना

बिहार सरकार द्वारा अगस्त 2021 में जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, लो. स्वा. अभि. वि. द्वारा क्रियान्वित हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत पाँच वर्षों तक जलापूर्ति योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण का प्रारंभ, जलापूर्ति योजना के संचालन पूर्व परीक्षण अवधि (तीन/छह माह) पूर्ण होने के पश्चात किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान त्रैमासिक बिलों के प्रस्तुतिकरण तथा अभियंता–प्रभारी द्वारा संतोषजनक जलापूर्ति प्रमाणपत्र जारी किए जाने के आधार पर, आनुपातिक पद्धति से किया जाना था (जिसमें जलापूर्ति न होने वाले दिनों के लिए कटौती की जानी थी)।

13 नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों[23] में क्रियान्वित योजनाओं से संबंधित वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के विवरण में यह पाया गया कि कुल 2,398 वार्डों (696 एकरारनामों) में संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान संबंधित प्रमंडलों द्वारा नहीं किया गया। 2,398 वार्डों में से, छह लो.स्वा. प्रमंडलों के 99 वार्डों (23 एकरारनामों) का संचालन एवं अनुरक्षण स्थिति का नमूना जांच किया गया जिसमें यह देखा गया कि ये योजनाएँ अप्रैल 2020 से अगस्त 2022 की अवधि में पूर्ण हुई थीं, किन्तु इन 99 वार्डों के संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान योजनाओं के पूर्ण होने के बाद 171 से 1,093 दिनों तक नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट– 3.10)***।

आगे विश्लेषण से यह पता चला कि 23 एकरारनामों में से 21 एकरारनामों के अंतर्गत 87 वार्डों के संचालन एवं अनुरक्षण की मापी न तो मापी पुस्त में दर्ज की नई और न ही आवश्यक भुगतान किया गया, जबकि त्रैमासिक आधार पर ऐसा करना अनिवार्य था। शेष दो[24] एकरारनामों में, जो 10 वार्डों को आच्छादित करने के लिए थे, 18 और 24 माह की अवधि के लिए क्रमशः ₹ 10.10 लाख और ₹ 13.10 लाख की संचालन एवं अनुरक्षण लागत मापी पुस्त में दर्ज की गई थी, तथापि संबंधित भुगतान नहीं किया गया।

13 नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों में से पाँच[25] प्रमंडलों ने मई 2023 से अक्टूबर 2023 के दौरान संचालन एवं अनुरक्षण मद में संवेदकों को ₹ 4.94 करोड़ ***(परिशिष्ट–3.11)*** के भुगतान हेतु लो.स्वा.अभि.वि. से निधि की मांग की। यह राशि 98 योजनाओं के लिए दी जानी थी, जिनमें वर्ष 2020–21 से 2023–24 की अवधि में संचालन एवं अनुरक्षण कार्य किया गया था। तथापि, विभाग द्वारा संबंधित प्रमंडलों को निधि उपलब्ध नहीं कराई गई। परिणामस्वरूप, मापी पुस्त में संचालन एवं अनुरक्षण का मापी दर्ज होने के बावजूद संवेदकों को कोई भुगतान नहीं किया जा सका।

---

[23] *भागलपुर पश्चिमी और जमुई के अलावा।*

[24] *लो.स्वा. प्रमंडल, दरभंगा (एसबीडी–22/19–20), लो.स्वा. प्रमंडल, शेरघाटी (एसबीडी–09/17–18)।*

[25] *औरंगाबाद, दरभंगा, गोपालगंज, झंझारपुर और मधुबनी।*

उपरोक्त मुद्दे संवेदक को संचालन एवं अनुरक्षण क्रियाकलापों के नियमित/त्रैमासिक भुगतान की कमी को उजागर करते हैं। संचालन एवं अनुरक्षण राशि का भुगतान न किया जाना योजनाओं के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

3.4.1.2 संचालन एवं अनुरक्षण के अंतर्गत जल गुणवत्ता परीक्षण का भुगतान

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा ग्रामीण वार्डों में हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी (मार्च 2019) आदर्श प्राक्कलन के अनुसार, संचालन एवं अनुरक्षण लागत को आठ घटकों में विभाजित किया गया था। इन आठ घटकों[26] में से एक घटक संवेदक द्वारा प्रत्येक पखवाड़े जल गुणवत्ता परीक्षण करना था। इसके लिए संवेदक को योजना की संचालन एवं अनुरक्षण अवधि के दौरान प्रति वर्ष ₹ 10,000 की राशि निश्चित प्राप्त होनी थी। इसके अतिरिक्त, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा जारी (जून 2019) आदर्श निविदा दस्तावेज की धारा 5.2 के अनुसार, संवेदक को योजना से जल नमूने लेकर लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के अंतर्गत जिला प्रयोगशालाओं को उपलब्ध कराना था ताकि नमूना के आधार पर जल की गुणवत्ता का परीक्षण किया जा सके।

नमूना जांचित 15 में से 12 लो.स्वा. प्रमंडलों के अंतर्गत जिला प्रयोगशालाओं के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं से जल नमूने संबंधित लो.स्वा. प्रमंडलों के कनीय अभियंता द्वारा एकत्र किए जा रहे थे तथा उनका परीक्षण संबंधित लोक स्वास्थ्य जिला प्रयोगशालाओं में किया जा रहा था। इससे यह पता चला कि आवश्यकतानुसार जल के नमूने गुणवत्ता परीक्षण हेतु संवेदकों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि इन 15 नमूना जांचित प्रमंडलों में संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान एकमुश्त आधार पर किया गया, जिसमें प्रत्येक घटक की लागत का विवरण नहीं दिया गया। इसी प्रकार जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए भी संवेदक को पाक्षिक भुगतान किया जा रहा था, जबकि उन्होंने परीक्षण हेतु जल नमूने लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को उपलब्ध नहीं कराए थे। फलस्वरूप, 15 नमूना जांचित किए गए प्रमंडलों के अंतर्गत 225 एकरारनामों ***(परिशिष्ट–3.12)*** में ₹ 1.93 करोड़ का अनियमित भुगतान संवेदकों को गुणवत्ता परीक्षण हेतु जल नमूनों की आपूर्ति सुनिश्चित किए बिना ही कर दिया गया।

3.4.2 पंचायती राज विभाग में संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निधियों का अपर्याप्त प्रावधान

पंचायती राज विभाग के दिशा–निर्देश (जून 2017) के अनुसार, पंचायत समुदाय को निर्मित परिसंपत्तियों का स्वामित्व रखना था तथा पूर्ण हुई जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी डब्ल्यू.आई.एम.सी. की थी। उपयोगकर्ता शुल्क (न्यूनतम ₹ 30 प्रति माह) पं.रा.वि. द्वारा निर्धारित किया गया था और इन योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु यह शुल्क उपभोक्ताओं से वार्ड सभा द्वारा संग्रहित किया जाना था।

---

[26] *(i) मानव बल की लागत, (ii) असैनिक संरचना (स्टील स्टेजिंग एवं मिस्त्रीकृत चैम्बर), (iii) विद्युत एवं यांत्रिक मद (iv) क्लोरीनीकरण सहित क्लोरीनेटर (v) वितरण प्रणाली (vi) पाक्षिक जल परीक्षण एवं निगरानी मूल्य (vii) जल गुणवत्ता जागरूकता कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण (viii) ऊर्जा शुल्क।*

इसके अतिरिक्त, 15वें वित्त आयोग के अनुदान से हर घर नल का जल योजना के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु प्रति वार्ड ₹ 4000 प्रति माह का प्रावधान किया गया था। इसमें से ₹ 2,000/– हर घर नल का जल योजना के अनुरक्षण के लिए तथा शेष राशि पंप चालक के पारिश्रमिक हेतु उपयोग की जानी थी। इसके अलावा, बिहार सरकार ने (जून 2021 में) निर्णय लिया कि प्रत्येक डब्ल्यू.आई.एम.सी. को संचालन एवं अनुरक्षण प्रयोजन हेतु वार्षिक ₹ 24,000 प्रदान किए जाएंगे।

पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार ने संचालन एवं अनुरक्षण हेतु राज्य बजट से केवल छह माह (अप्रैल 2022 से सितंबर 2022) की अवधि के लिए ₹ 69.60 करोड़[27] की राशि संबंधित जिलों के जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को जारी की, ताकि इसे आगे डब्ल्यू. आई.एम.सी. को हस्तांतरित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 11 नमूना जांचित ग्राम पंचायतों[28] ने सितंबर 2022 से अप्रैल 2023 के दौरान 147 वार्डों की डब्ल्यू.आई.एम.सी. को जलापूर्ति योजना के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु 15वें वित्त आयोग अनुदान से ₹ 33.36 लाख की राशि हस्तांतरित की।

सितंबर 2022 के बाद, पूर्ण हुई जलापूर्ति योजनाओं के सतत् संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निधि जारी करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसमें पंप चालकों को पारिश्रमिक भुगतान भी शामिल था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017–18 से 2022–23 की अवधि के दौरान 48 नमूना जांचित ग्राम पंचायतों में किसी भी डब्ल्यू .आई.एम.सी. द्वारा संचालन एवं अनुरक्षण लागत की पूर्ति हेतु उपयोगकर्ता शुल्क वसूल नहीं किया गया और विभाग द्वारा भी संचालन एवं अनुरक्षण के लिए कोई निधि जारी नहीं की गई।

35 ग्राम पंचायतों में 209 योजना स्थलों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जून 2023 से नवंबर 2023) के दौरान यह देखा गया कि पंप चालकों को पारिश्रमिक का भुगतान केवल 23 प्रतिशत मामलों (209 में से 48 पंप चालकों[29]) में ही किया गया। नियमित पंप चालकों की उपस्थिति निरंतर जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थी, अतः उन्हें भुगतान न किए जाने से नमूना जांचित वार्डों में जलापूर्ति योजनाओं का संचालन प्रभावित हो सकता है।

3.4.2.1 पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित वार्डों में विद्युत संयोजन की अनुपलब्धता

जलापूर्ति योजनाओं में मोटर एवं अन्य घटकों के संचालन हेतु विद्युत संयोजन आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, पं.रा.वि. द्वारा सितंबर 2019 में जारी निर्देशों के अनुसार कोई भी ग्रामीण योजना हर घर नल का जल के अंतर्गत तभी कार्यशील मानी जाएगी जब उसमें वैध विद्युत संयोजन स्थापित किया गया हो। अतः पं.रा.वि. ने जिला पदाधिकारियों को पी.डब्ल्यू.एस. के लिए वैध विद्युत संयोजन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

---

27 *अगस्त 2022 में और फरवरी 2023 में।*

28 *औरंगाबाद, ओबरा, महुआवनः 8 वार्ड्सः ₹1.92 लाख, अमिलोनाः 14 वार्ड्सः ₹1.68 लाख, पश्चिमी चंपारण, गौनहा, बेलसंडः 13 वार्ड्स ₹ 3.12 लाख, महूईः 14 वार्ड्सः ₹3.36 लाख, लौरिया, बेलवा लखन पुरः 14 वार्ड्सः ₹4.80 लाख, धोबनीः 14 वार्ड्सः ₹1.68 लाख, छपरा, एकमा, बनपुराः 15 वार्ड्सः ₹ 3.60 लाख, हुसेपुरः14 वार्ड्सः ₹3.36 लाख, गया, इमामगंज, चकरबंधाः 13 वार्ड्सः ₹3.12 लाख, दुभालः 14 वार्ड्स, ₹3.36 लाख, दरभंगा, केओटी, नानौराः 14 वार्ड्सः ₹3.36 लाख।*

29 *मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के संचालक योजना के कियान्वयन के लिए उत्तरदायी थे, जैसे योजना की मोटरों को चालू एवं बंद करना, योजना की दैनिक देखरेख एवं निगरानी करना आदि।*

डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जून 2023 से नवंबर 2023) में यह देखा गया कि 209 वार्डों में से 58 वार्डों की 58 योजनाओं में विद्युत संयोजन उपलब्ध नहीं कराया गया था, जबकि योजनाओं को कार्यशील बनाने के लिए यह आवश्यक था। इसका विवरण **तालिका– 3.11** में दिया गया है।

तालिका 3.11: वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समितियों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में विद्युत संयोजन का अभाव

क्रम संख्या	प्रखण्ड	ग्राम पंचायत	कुल वार्ड	अभ्युक्ति (योजना का परिचालन)
1	ओबरा	2	5	2 कार्यशील और 3 अकार्यशील
2	बारून	2	5	2 कार्यशील और 3 अकार्यशील
3	राजनगर	1	1	1 कार्यशील
4	फुलपरास	2	6	6 अकार्यशील
5	गौनाहा	2	10	4 कार्यशील और 6 अकार्यशील
6	लौरिया	2	2	1 कार्यशील और 1 अकार्यशील
7	एकमा	1	3	3 कार्यशील
8	रिविलगंज	2	3	2 कार्यशील और 1 अकार्यशील
9	फतेहपुर	2	12	9 कार्यशील और 3 अकार्यशील
10	इमामगंज	2	4	1 कार्यशील और 3 अकार्यशील
11	हथुआ	1	1	1 योजना अकार्यशील
12	गिद्धौर	1	2	2 योजना अकार्यशील
13	गौराडीह	1	4	3 कार्यशील और 1 अकार्यशील
	कुल		**58**	

(स्रोतः योजना स्थल का संयुक्त भौतिक सत्यापन)

58 वार्डों में जहाँ विद्युत संयोजन उपलब्ध नहीं था, उनमें से 30 वार्डों की जलापूर्ति योजनाएँ कार्यशील नहीं थीं, जबकि शेष 28 वार्डों में योजनाएँ कार्यशील थीं परंतु वैध विद्युत संयोजन के बिना संचालित हो रही थीं।

3.4.3 नगर निकायों में संचालन एवं अनुरक्षण की स्थिति

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा श.स्था.नि. में ली गई हर घर नल का जल योजनाओं के लिए, जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले संवेदक द्वारा पाँच वर्षों तक संचालन एवं अनुरक्षण का प्रावधान शामिल किया गया था। दिशा–निर्देशों के अनुसार, योजना पूर्ण होने के बाद पाँच वर्षों तक अनुमानित लागत का दो प्रतिशत संचालन एवं अनुरक्षण हेतु प्रावधान किया जाना था, जिसे जलापूर्ति योजना के प्राक्कलन/मात्रा बिल में सम्मिलित किया जाना था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

3.4.3.1 शहरी निकायों में संचालन एवं अनुरक्षण का अभाव/क्रियान्वयन न होना

लेखापरीक्षा के आधार पर यह पाया गया कि सात नमूना जांचित शहरी निकायों में अप्रैल 2017 से जुलाई 2022 के बीच प्रारंभ हुई 107 योजनाओं में संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। जब कि संवेदकों के साथ हुए एकरारनामा में इसके लिए प्रावधान शामिल था। ये योजनाएँ पूर्ण हो चुकी थीं (नवंबर 2017 से मई 2023), तथापि योजना

पूर्ण होने के छह माह से 73 माह बीत जाने के बाद भी इन योजनाओं में संचालन एवं अनुरक्षण प्रारंभ[30] नहीं किया गया। ***(परिशिष्ट– 3.13)***

इसके अतिरिक्त, संचालन एवं अनुरक्षण की व्यवस्था के संबंध में 12 वार्डों की 12 योजनाओं का नमूना जांच किया गया। इस दौरान यह पाया गया कि नगर पंचायत, बीरपुर ने मार्च 2018 से अक्टूबर 2020 के बीच ₹ 7.52 करोड़ की लागत से जलापूर्ति योजनाएँ पूर्ण की थीं, किन्तु प्राथमिक एकरारनामा में संचालन एवं अनुरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। संचालन एवं अनुरक्षण कार्य बाद में तीन से पाँच वर्ष के अंतराल के पश्चात मार्च 2023 में प्रदान किए गए। इसका कारण यह पाया गया कि नगर पंचायत बीरपुर के अंतर्गत 3,659 परिवारों को जलापूर्ति सेवा में विलंब हुआ तथा वे अप्रैल 2023 से ही प्रारंभ हो सकी।

जवाब में, श.स्था.नि. गोपालगंज ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए बताया कि संचालन एवं अनुरक्षण हेतु अलग–अलग निविदाएँ आमंत्रित की गई हैं, जबकि श.स्था.नि. झंझारपुर एवं बेनीपुर ने कहा कि योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण किया जा रहा है। तथापि, लेखापरीक्षा को ऐसा कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ जिससे यह प्रमाणित हो सके कि श.स्था.नि. बेनीपुर में किसी प्रकार का संचालन एवं अनुरक्षण भुगतान किया गया अथवा कोई मापी दर्ज किया गया। विभाग द्वारा इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

3.4.3.2 शहरी स्थानीय निकायों में जलापूर्ति योजनाओं में विद्युत् संयोजन की अनुपलब्धता

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान (जून 2023 से जुलाई 2023 के बीच) यह देखा गया कि मोटर संचालन हेतु 138 योजनाओं में से 27 योजनाओं में विद्युत् संयोजन नहीं लिया गया था। ये योजनाएँ अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2022 के बीच तीन नमूना जांचित श.स्था.नि. के 227 वार्डों में से 25 वार्डों में क्रियान्वित की गई थीं। इसका विवरण **तालिका 3.12** में दिया गया है।

तालिका 3.12: श.स्था.नि. की योजनाओं में विद्युत् संयोजन की अनुपलब्धता

क्रम संख्या	श.स्था.नि. का नाम	कुल वार्ड	योजनाओ की संख्या
1	खगड़िया	3	3
2	रिविलगंज	15	17
3	टेकारी	7	7
	कुल	**25**	**27**

(स्रोतः नमूना जांचित इकाइयों के अभिलेख)

इन 27 योजनाओं का भौतिक सत्यापन किया गया और यह पाया गया कि तीन योजनाएँ (750 परिवारों को आच्छादित करते हुए) क्रियाशील नहीं थीं, जबकि शेष 24 योजनाएँ अन्य/अनधिकृत विद्युत् स्रोतों के माध्यम से संचालित हो रही थीं।

जवाब में, न.वि. एवं आ.वि. ने बताया (जून 2025) कि श.स्था.नि. खगड़िया एवं टेकारी में विद्युत् संयोजन ले लिया गया है, जबकि श.स्था.नि. रिविलगंज की योजनाओं हेतु विद्युत् विभाग से संयोजन उपलब्ध कराने के लिए संपर्क किया गया है।

---

[30] *नगर पंचायत, बीरपुर को छोड़कर जहाँ संचालन एवं अनुरक्षण हेतु एकरारनामा मार्च 2023 में क्रियान्वित किया गया।*

3.4.3.3 शहरी स्थानीय निकायों में उपभोक्ता शुल्क की वसूली न होना

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों (27 अक्टूबर 2016) के अनुसार, योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण पर होने वाला व्यय उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले उपभोक्ता शुल्क से पूरा किया जाना था। ये उपभोक्ता शुल्क विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए जल उपभोक्ता शुल्क नीति के अंतर्गत निर्धारित किए गए थे, जिसे अगस्त 2021 में न.वि. एवं आ.वि., बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। इस नीति के अंतर्गत उपभोक्ताओं को उनके द्वारा दिए गए संपत्ति कर तथा जल उपभोग के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया। तदनुसार उपभोक्ता शुल्क ₹ 40 से ₹ 150 प्रति माह तक निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा अन्य सरकारी संस्थानों के लिए जल मीटर स्थापित किया जाना था और उपभोक्ता शुल्क उसी के अनुसार लिया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ नमूना जांचित श.स्था.नि.[31] में अगस्त 2021 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान 68,650 उपभोक्ताओं से ₹ 4.77 करोड़ (***परिशिष्ट 3.14)*** की उपभोक्ता शुल्क वसूली शेष थी। इनमें से केवल दो श.स्था.नि.[32] ने ₹ 58.70 लाख की मांग के विरुद्ध ₹ 7.89 लाख उपभोक्ता शुल्क की वसूली की थी, जिसका विवरण **तालिका 3.13** में दिया गया है।

तालिका 3.13: अगस्त 2021 से मार्च 2023 तक नौ श.स्था.नि. में उपभोक्ता शुल्क का विवरण

क्रम संख्या	श.स्था.नि. का नाम	कुल परिवारों की संख्या	संग्रहणीय कुल उपभोक्ता शुल्क (₹ में)	श.स्था.नि. द्वारा वसूली गयी उपभोक्ता शुल्क (₹ में)	कुल अवसूलित उपभोक्ता शुल्क (₹ में)
1	औरंगाबाद	3,770	28,65,200	0	28,65,200
2	बेनीपुर	11,831	86,39,560	0	86,39,560
3	बेतिया	19,364	1,30,16,200	0	1,30,16,200
4	गोपालगंज	4,968	37,26,960	0	37,26,960
5	झाझा	4,585	31,92,200	4,62,960	27,29,240
6	झंझारपुर	4,399	26,87,640	0	26,87,640
7	खगड़िया	9,456	67,65,040	0	67,65,040
8	रिविलगंज	6,754	40,96,120	0	40,96,120
9	टेकारी	3,523	26,77,480	3,26,480	23,51,000
	कुल	**68,650**	**4,76,66,400**	**7,89,440**	**4,68,76,960**

(स्रोतः नमूना जांचित इकाइयों के अभिलेख), # योजना की समाप्ति के बाद उपभोक्ता शुल्क की गणना)

तालिका 3.13: से यह स्पष्ट होता है कि श.स्था.नि. द्वारा केवल दो प्रतिशत उपभोक्ता शुल्क की ही वसूली की गई। परिणामस्वरूप, जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु आवश्यक निधि सुनिश्चित नहीं हो सकी, जिससे इन योजनाओं के रखरखाव एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

---

[31] *खगड़िया, टेकारी, रिविलगंज, बेतिया, बेनीपुर, गोपालगंज, झंझारपुर, औरंगाबाद और झाझा।*

[32] *झाझा और टेकारी।*

जवाब में, न.वि. एवं आ.वि. ने बताया (जून 2025) कि श.स्था.नि. बेतिया, झंझारपुर, गोपालगंज, झाझा, खगड़िया, टेकारी एवं रिविलगंज में उपभोक्ता शुल्क की वसूली की गई है। शेष शहरी स्थानीय निकायों में भी इन शुल्कों की वसूली की जाएगी।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि बड़े पैमाने पर व्यय होने के बावजूद *हर* घर नल का जल योजना ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में पाइप जलापूर्ति आच्छादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। आच्छादित वार्डों की अवास्तविक रिपोर्टिंग, कार्यों का अपूर्ण क्रियान्वयन, उचित सर्वेक्षण का अभाव तथा कमजोर अनुबंध प्रबंधन की कमजोरी ने योजना के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न की। संचालन एवं अनुरक्षण के क्रियान्वयन हेतु अपर्याप्त प्रावधान, विद्युत् संयोजन की कमी तथा उपभोक्ता शुल्क की कमजोर वसूली के कारण अनेक योजनाएँ अकार्यशील रह गईं। परिणामस्वरूप, लक्षित परिवारों एवं संस्थानों की एक बड़ी संख्या सुरक्षित एवं सतत् नल जलापूर्ति के अपेक्षित लाभ से वंचित रह गई, जिससे योजना का मूल उद्देश्य विफल हो गया।

अनुशंसाएं

अनुशंसा 4: योजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व उचित सर्वेक्षण सुनिश्चित करते हुए योजना निर्माण एवं निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने पर विचार कर सकती है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में वास्तविक क्षेत्रीय प्रगति को प्रतिबिंबित करते हुए एक वास्तविक समय–आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाई जा सकती है।

अनुशंसा 5: राज्य सरकार अनुबंध एवं वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर विचार कर सकती है। इसके लिए समझौते की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा विलंब, अतिरिक्त भुगतान एवं अपूर्ण कार्यों से बचाव हेतु प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।

अनुशंसा 6: राज्य सरकार सतत् सेवा सुनिश्चित करने पर विचार कर सकती है। इसके लिए संचालन एवं अनुरक्षण हेतु समय पर धनराशि उपलब्ध कराना, विद्युत् आपूर्ति संबंधी समस्याओं का समाधान करना, उपभोक्ता शुल्क की वसूली को प्रोत्साहित करना तथा कार्यान्वयन एजेंसियों एवं स्थानीय निकायों के बीच प्रभावी समन्वय को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।